

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 195/2022

अनवान मुकदमा -

1. सुखा देवी पत्नी भागीरथ जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीया

बनाम

1. अमरी देवी पुत्री भागीरथ पत्नी हसरंज जाति मेघवाल साकिन 8 बीआरपी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. चुका देवी उर्फ सावित्री पुत्री भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. पप्पूराम दत्तक पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. भूरी देवी पुत्री भागीरथ पत्नी सुल्तानराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल 31 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. माला देवी पुत्री भागीरथ पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल साकिन 8 बीआरपी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. रोशनी पुत्री भागीरथ पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल कमाना डबलीबास चुकता तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. विमला पुत्री भागीरथ पत्नी लाधुराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल जैतसर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. सुमन पुत्री कलावती पुत्री भागीरथ पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
9. सुरजा देवी पुत्री भागीरथ पत्नी भजनलाल जाति मेघवाल साकिन 14 ए.जी. भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. सुरसती पुत्री भागीरथ पत्नी चेतनराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल अमरसिंहवाला 31 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. सावित्री पुत्री भागीरथ पत्नी बंशपाल जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

- - प्रतिवादीगण

--: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन :-

--: उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर, अधिवक्ता --- वादीया
2. श्री जगराज सिंह भारी, अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 11
3. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 12

--: निर्णय :-

दिनांक - 20/05/2022

वादीया ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है

20.05.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि वादीया एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है।

वादीया व प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/350 (12) किला नं. 21 ता 24, 25/1, 25/2, प.नं. 90/351 (13) किला नं. 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13/1, 14/2, 15/2, 15/3, प.नं. 91/352 (23) किला नं. 2/2, 3/1 की 3.239 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी में वादीया का 17/492 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

वादीया व प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 जेडब्ल्यू के खाता सं. 43/32 के प.नं. 88/356 (8) किला नं. 3/1, 8, 13/1 की 0.607 हैक्. अनकमांड खातेदारी में वादीया का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 6 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 67/46 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 13/2, 14/1, 15/5 की 0.632 हैक्. कमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

वादीया व प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 74/29 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 25/3 की 1.140 हैक्. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदारी में वादीया का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 29/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20 की 1.265 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

वादीया व प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के खाता सं. 97/83 के प.नं. 10/316 (28) किला नं. 14, 15/1, 15/2, 17 ता 19 की 1.265 हैक्. अनकमांड मय रास्ता खातेदारी में वादीया का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 2 ता 7 में वर्णित कृषि भूमि का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी मंदा, खाला रास्ता व काशत की सहूलियत के हिसाब से अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा ही पक्षकारान अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काशत करते आ रहे है। घरू बंटवारा निम्नानुसार है -

क. वादीया सुखा देवी को प्राप्त भूमि -

20.05.2022  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 3/081, 8/127, 13/11.042, 14/11.042, 15/21.025, 15/31.018 की कुल 0.335 हैक्., प.नं. 91/352 (23) किला नं. 2/21.083, 3/11.076 की 0.159 हैक्. कुल 0.494 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी, चक 2 जेडब्ल्यू के खाता सं. 43/32 के प.नं. 88/356 (8) किला नं. 3/11.184 हैक्. अनकमांड खातेदारी इस प्रकार दोनो चको की कुल 0.678 हैक्. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदारी।

ख. प्रतिवादी सं.1 अमरी देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/350 (12) किला नं. 21, 22, 23/127 की 0.633 हैक्. कमांड खातेदारी।

ग. प्रतिवादी सं. 2 चुका देवी उर्फ सावित्री देवी व प्रतिवादी सं.3 पण्पूराम को ब.हि.ब. प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 29/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20 की 1.265 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

घ. प्रतिवादी सं.4 भूरी देवी व प्रतिवादी सं. 7 विमला को ब.हि.ब. प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के खाता सं. 97/83 के प.नं. 10/316 (28) किला नं. 14, 15/1, 15/2, 17 ता 19 की 1.265 हैक्. अनकमांड मय रास्ता खातेदारी

ङ. प्रतिवादी सं. 5 माला देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/350 (12) किला नं. 23/126, 24, 25/1, 25/2 की 0.632 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

च. प्रतिवादी सं. 6 रोशनी देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 67/46 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 13/2, 14/1, 15/5 की 0.632 हैक्. कमांड खातेदारी।

छ. प्रतिवादी सं. 8 सुमन को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 74/29 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 21/21.228, 22/21.228, 23/176 की 0.632 हैक्. कमांड खातेदारी।

ज. प्रतिवादी सं. 9 सुरजा देवी को प्राप्त भूमि -


तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 6/1, 6/2, 7, 8/126 की 0.632 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

झ. प्रतिवादी सं.10 सुरसती को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 74/29 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 23/052, 24/21.228, 25/21.026, 25/31.202 की 0.508 हैक्. कमांड

अनकमांड खातेदारी, चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 91/352 (23) किला नं. 2/21.170 हैक्. इस प्रकार कुल 0.678 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी।

ण. प्रतिवादी सं.11 सावित्री को प्राप्त भूमि -

  
20.05.2022  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के प.नं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 3/1.172, 4, 5/1, 5/2 की 0.678 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

ट. प्रतिवादी सं. 1 अमरी देवी, प्रतिवादी सं.2 चुका देवी उर्फ सावित्री, प्रतिवादी सं.3 पप्पूराम, प्रतिवादी सं.4 भूरी देवी, प्रतिवादी सं. 5 माला देवी, प्रतिवादी सं.6 रोशनी देवी, प्रतिवादी सं. 7 विमला देवी, प्रतिवादी सं. 8 सुमन, प्रतिवादी सं. 9 सुरजा देवी को ब.हि.

ब. प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 2 जेडब्ल्यू के खाता सं. 43/32 के प.नं. 88/356 (8) किला नं. 3/1/044, 8, 13/1/126 की 0.423 हैक्. अनकमांड खातेदारी।

उक्तानुसार वादीया व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं। इसी अनुसार वादीया खातेदारी घोषणा प्राप्त करने व अपना खाता प्रतिवादीगण से तकसीम करवाने की हकदार है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :- घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 2 ता 7 में वर्णित कृषि भूमि का वाद पत्र की दफा 8 की उपदफा क से ट अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण को खातेदार काशतकार घोषित कर खाता तकसीम कर रकम राज अलग कायम किया जावे। वादीया व प्रतिवादीगण को जो भूमि प्राप्त हुई है उसमें से अन्य काशतकारान का नाम व हिस्सा कल्मजन होगा।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। राजपैरोकार से स्टेट जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिशल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काशतकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र का पैतृक सम्पति में से जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो

20.05.2022  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

**--:: आदेश ::--**

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीया एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार तकसीम कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं -

क. वादीया सुखा देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 31.081, 81.127, 13/11.042, 14/11.042, 15/21.025, 15/31.018 की कुल 0.335 हैक्., प.नं. 91/352 (23) किला नं. 2/21.083, 3/11.076 की 0.159 हैक्. कुल 0.494 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी, चक 2 जेडब्ल्यू के खाता सं. 43/32 के प.नं. 88/356 (8) किला नं. 3/11.184 हैक्. अनकमांड खातेदारी इस प्रकार दोनो चको की कुल 0.678 हैक्. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदारी।

ख. प्रतिवादी सं.1 अमरी देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/350 (12) किला नं. 21, 22, 23/1.127 की 0.633 हैक्. कमांड खातेदारी।

ग. प्रतिवादी सं. 2 चुका देवी उर्फ सावित्री देवी व प्रतिवादी सं.3 पप्पूराम को ब.हि.ब. प्राप्त भूमि -


तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 29/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20 की 1.265 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

घ. प्रतिवादी सं.4 भूरी देवी व प्रतिवादी सं. 7 विमला को ब.हि.ब. प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के खाता सं. 97/83 के प.नं. 10/316 (28) किला नं. 14, 15/1, 15/2, 17 ता 19 की 1.265 हैक्. अनकमांड मय रास्ता खातेदारी

ङ. प्रतिवादी सं. 5 माला देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/350 (12) किला नं. 23/1.126, 24, 25/1, 25/2 की 0.632 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

  
20.05.2022  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

च. प्रतिवादी सं. 6 रोशनी देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 67/46 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 13/2, 14/1, 15/5 की 0.632 हैक्. कमांड खातेदारी।

छ. प्रतिवादी सं. 8 सुमन को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 74/29 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 21/21.228, 22/21.228, 23/1.176 की 0.632 हैक्. कमांड खातेदारी।

ज. प्रतिवादी सं. 9 सुरजा देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 6/1, 6/2, 7, 8/1.126 की 0.632 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

झ. प्रतिवादी सं.10 सुरसती को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 74/29 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 23/052, 24/21.228, 25/21.026, 25/31.202 की 0.508 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी, चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 91/352 (23) किला नं. 2/21.170 हैक्. इस प्रकार कुल 0.678 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी।

ण. प्रतिवादी सं.11 सावित्री को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के प.नं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 3/1.172, 4, 5/1, 5/2 की 0.678 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

ट. प्रतिवादी सं. 1 अमरी देवी, प्रतिवादी सं.2 चुका देवी उर्फ सावित्री, प्रतिवादी सं.3 पण्पूराम, प्रतिवादी सं.4 भूरी देवी, प्रतिवादी सं. 5 माला देवी, प्रतिवादी सं.6 रोशनी देवी, प्रतिवादी सं. 7 विमला देवी, प्रतिवादी सं. 8 सुमन, प्रतिवादी सं. 9 सुरजा देवी को ब.हि.

ब. प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 2 जेडब्ल्यू के खाता सं. 43/32 के प.नं. 88/356 (8) किला नं. 3/11.044, 8, 13/11.126 की 0.423 हैक्. अनकमांड खातेदारी।

वादीया व प्रतिवादीगण को जो भूमि प्राप्त हुई है उसमें से अन्य खातेदारों का नाम व हिस्सा कल्मजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

20.05.2022  
(रणजीत कुमार) एवं  
सहायक उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई  
(आ०-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 193/2022

अनवान मुकदमा -

1. सुखा देवी पत्नी भागीरथ जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीया

बनाम

1. अमरी देवी पुत्री भागीरथ पत्नी हसंराज जाति मेघवाल साकिन 8 बीआरपी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. चुका देवी उर्फ सावित्री पुत्री भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. पप्पूराम दत्तक पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. भूरी देवी पुत्री भागीरथ पत्नी सुल्तानराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल 31 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. माला देवी पुत्री भागीरथ पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल साकिन 8 बीआरपी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. रोशनी पुत्री भागीरथ पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल कमाना डबलीबास चुकता तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. विमला पुत्री भागीरथ पत्नी लाधुराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल जैतसर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. सुमन पुत्री कलावती पुत्री भागीरथ पत्नी पृथ्वीराज जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
9. सुरजा देवी पुत्री भागीरथ पत्नी भजनलाल जाति मेघवाल साकिन 14 ए.जी. भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. सुरसती पुत्री भागीरथ पत्नी चेतनराम जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल अमरसिंहवाला 31 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. सावित्री पुत्री भागीरथ पत्नी बंशपाल जाति मेघवाल साकिन पण्डितावाली हाल पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

-- प्रतिवादीगण

--: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन :-

--: निर्णय ::-

दिनांक - 20/05/2022

वादीया की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की ओर श्री जगराज सिंह भारी, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

20.05.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार तकसीम कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं -

क. वादीया सुखा देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 3/1.081, 8/1.127, 13/1/042, 14/1/042, 15/2/025, 15/3/018 की कुल 0.335 हैक्., प.नं. 91/352 (23) किला नं. 2/2/083, 3/1/076 की 0.159 हैक्. कुल 0.494 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी, चक 2 जेडब्ल्यू के खाता सं. 43/32 के प.नं. 88/356 (8) किला नं. 3/1/184 हैक्. अनकमांड खातेदारी इस प्रकार दोनो चको की कुल 0.678 हैक्. कमांड अनकमांड मय खाला खातेदारी।

ख. प्रतिवादी सं.1 अमरी देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/350 (12) किला नं. 21, 22, 23/1.127 की 0.633 हैक्. कमांड खातेदारी।

ग. प्रतिवादी सं. 2 चुका देवी उर्फ सावित्री देवी व प्रतिवादी सं.3 पप्पूराम को ब.हि.ब. प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 29/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20 की 1.265 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

घ. प्रतिवादी सं.4 भूरी देवी व प्रतिवादी सं. 7 विमला को ब.हि.ब. प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 6 एसजीआर के खाता सं. 97/83 के प.नं. 10/316 (28) किला नं. 14, 15/1, 15/2, 17 ता 19 की 1.265 हैक्. अनकमांड मय रास्ता खातेदारी

ङ. प्रतिवादी सं. 5 माला देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/350 (12) किला नं. 23/1.126, 24, 25/1, 25/2 की 0.632 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

च. प्रतिवादी सं. 6 रोशनी देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 67/46 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 13/2, 14/1, 15/5 की 0.632 हैक्. कमांड खातेदारी।

छ. प्रतिवादी सं. 8 सुमन को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 74/29 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 21/2/228, 22/2/228, 23/1.176 की 0.632 हैक्. कमांड खातेदारी।

ज. प्रतिवादी सं. 9 सुरजा देवी को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 6/1, 6/2, 7, 8/1.126 की 0.632 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

झ. प्रतिवादी सं.10 सुरसती को प्राप्त भूमि -

20.05.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपलायन अधिकारी पीलीबंगा

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के खाता सं. 74/29 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 23/052, 24/21.228, 25/21.026, 25/31.202 की 0.508 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी, चक 34 एनडीआर के खाता सं. 46/39 के प.नं. 91/352 (23) किला नं. 2/21.170 हैक्. इस प्रकार कुल 0.678 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी।

ण. प्रतिवादी सं.11 सावित्री को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 34 एनडीआर के प.नं. 46/39 के प.नं. 90/351 (13) किला नं. 3/172, 4, 5/1, 5/2 की 0.678 हैक्. कमांड मय खाला खातेदारी।

ट. प्रतिवादी सं. 1 अमरी देवी, प्रतिवादी सं.2 चुका देवी उर्फ सावित्री, प्रतिवादी सं.3 पप्पूराम, प्रतिवादी सं.4 भूरी देवी, प्रतिवादी सं. 5 माला देवी, प्रतिवादी सं.6 रोशनी देवी, प्रतिवादी सं. 7 विमला देवी, प्रतिवादी सं. 8 सुमन, प्रतिवादी सं. 9 सुरजा देवी को ब.हि.

ब. प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 2 जेडब्ल्यू के खाता सं. 43/32 के प.नं. 88/356 (8) किला नं. 3/11.044, 8, 13/11.126 की 0.423 हैक्. अनकमांड खातेदारी।

वादीया व प्रतिवादीगण को जो भूमि प्राप्त हुई है उसमें से अन्य खातेदारों का नाम व हिस्सा कल्मजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 20/5/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा